न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :— सुमन शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 43/2023 दिनांक :— 17-5-2024

1. बनवारी लाल भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. राम निवास भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. श्रवण कुमार भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान ... अप्रार्थी .....
1. तीजू देवी पत्नि रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान .. गौंणअप्रार्थीनी ..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.

एक्ट एंव धारा 88 आर. टी. एक्ट

निर्णय

उपस्थित :—

1. रधुवीर भांभू एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बनवारी लाला भामू, राम निवास भामू व श्रवण कुमार भामू पुत्रगण रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर व गौंणअप्रार्थीनी तीजू देवी पत्नि रूपाराम भामू जाति जाट निवासीनी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के खातेदारी खेत रोही ग्राम दूंकर में अपने कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 557 तादादी 5.0839 हैक्टेयर में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण एंव गौंणअप्रार्थीनी के पिता/पति के इंतकाल के पश्चात वारीसान् नामांतरणकरण के समय प्रार्थीगण के घर पर बोलने वाले नाम बनवारी, रामनिवास व श्रवण अंकित कर दिये जबकी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड व अंक तालिका के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड व सरकारी दस्तावेजों में नाम मिलान नहीं होने व भिन्नता होने के कारण राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर खसरा नंबर 557 तादादी 5.0839 हैक्टेयर में अपने नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड व अंक तालिका के अनुसार बनवारी लाल भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान, राम निवास भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान व श्रवण कुमार भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर प्रार्थीगण के नाम सही करवाने का प्रार्थीगण ने यह वाद पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेजों के राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए दर्ज करे आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थीगण कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व गौंणअप्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 557 तादादी 5.0839 हैक्टेयर रोही ग्राम दूंकर में है जिसमें प्रार्थीगण के पिता की मृत्यू के पश्चात विरासतन इंतकाल दर्ज करते वक्त नाम घर पर बोल चाल के नाम बनवारी, रामनिवास व श्रवण अंकित किये गये जो कि भूलवश गलत अंकन हो गये। प्रार्थीगण के समस्त सरकारी दस्तावेजों में नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट एंव धारा 88 आर टी एक्ट में पेश किया। प्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर मुताबिक आधार कार्ड व अंक तालिका के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा अलग अलग अपने नाम में संशोधन के शपथ पत्र भी पेश किये गये है। प्रार्थीगण एंव गैंणअपार्थीनी रोही दूंकर के खसरा नंबर 557 तादादी 5.0839 हैक्टेयर बा. दोयम के संयुक्त खातेदार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विरासतन् इंतकाल दर्ज करते वक्त नाम सही दर्ज नहीं कीये। प्रार्थीगण के नाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड व अंकतालिका के अनुसार बनवारी लाल भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान, राम निवास भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान व श्रवण कुमार भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान है तथा इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार 3 पर

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि रोही दूंकर में खसरा नंबर 557 तादादी 5.0839 हैक्टेयर है जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम बनवारी, रामनिवास व श्रवण को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि प्रार्थीगण के नाम बनवारी लाल भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान व राम निवास भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान व श्रवण कुमार भामू पुत्र रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के नाम राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे व तीजू देवी पत्नि रूपाराम भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान का मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17-5-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर